संख्या–3661 / 9–आ–3–98–7 वि0 / 98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2000

विषय :तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

आवास अनुभाग.1 के शासनादेश संख्या. 2805 / 9.आ.1.1996 दिनांक 18.6.96 के बिन्दु.5 में योजनाओं के अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य निजी निर्माताओं द्वारा स्वयं कराये जाने की दशा में प्राधिकरणों में स्वीकृति के लिए प्राप्त मानचित्रों पर पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा अनुमानित आंतरिक विकास कार्यों के मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में लिए जाने की व्यवस्था है। आन्तरिक विकास कार्यों के मूल्य की गणना में अन्तर की सम्भावनाओं के दृष्टिगत उत्पीड़न की आशंका को देखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

2. प्राधिकरणों में स्वीकृति हेतु प्राप्त तलपट मानचित्रों पर क्षेत्रफल के आधार पर रु. 3 / – प्रति वर्ग मीटर (ग्रास एरिया पर) पर्यवेक्षण शुल्क वसूल किया जाएगा। यह धनराशि छमाही किस्तों में भी निम्नानुसार 15 प्रतिशत ब्याज सहित ली जा सकती है, प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रत्येक किश्त के साथ अद्यावधिक ब्याज समस्त अवशेष धनराशि पर देय होगा।

3. दो किस्तों के लगातार पूर्ण रूप से भुगतान न किए जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त हो जाएगा।

4. उक्त दर वर्तमान कास्ट इण्डेक्स पर आधारित है, अतः विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर ही प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित कास्ट इण्डेक्स के आधार पर इसे अद्यावधिक किया जाएगा।

5. शासनादेश संख्या–2805 / 9.आ–1.1996 दिनांक 18.6.1996 वर्तमान में चूँकि विकास प्राधिकरणों में ही प्रभावी है, अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश आवास

एवं विकास परिषद सहित सभी विकास प्राधिकरणों में लागू करते हुए उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे तथा इनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या : 3661(1)/9–आ–3–98.7 वि/98 तद्दिनांक 25/10/2000

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
2. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।